10.10.2023:—पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण उपस्थित प्रार्थीगण के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर/अगुठा करवाया गया। प्राथीगण की पहचान प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा की गई। मुल वादपत्र खारिज हो चुका है तो प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.09.17 13:29:27 IST
Reason: SelfAttested